(4) UNCR 4052/2025

27.06.2026 परिवादी की ओर से अधिवक्ता **श्री अनस मोहम्मद शेख** उपस्थित।

अभियुक्त/गण अनिर्वाहित।

प्रकरण परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 257 दं.प्र.सं/280 भा.ना.सु.सं. पर विचार हेतु नियत है।

इस आदेश द्वारा परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 257 दं.प्र.सं/280 भा.ना.सु.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि उभयपक्ष का न्यायालय के बाहर समझौता हो गया है तथा परिवादी आरोपी के विरूद्ध प्रकरण नहीं चलाना चाहता है, जिस कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त आवेदन पर सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में न्यायालय शुल्क प्रस्तुति/पंजीयन तर्क हेतु नियत है। परिवादी/अधिवक्ता ने प्रकरण को वापस लिए जाने बावत् उक्त आवेदन स्वेच्छया देना व्यक्त करते हुए निवेदन किया है कि उभयपक्ष में समझौता होने से वह अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण अब और आगे नहीं चलाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन धारा 257 दं.प्र.सं/280 भा.ना.सु.सं. **स्वीकार** किया जाता है। चूंकि परिवाद में अभी संज्ञान नहीं लिया गया है। इसी प्रक्रम पर न्यायालय के बाहर समझौते अनुसार परिवादी ने परिवाद वापस लेने की वांछा की है, अतएव आवेदन स्वीकार करते हुए परिवाद **खारिज** किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(कीर्ति दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इन्दौर